न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 03/2010

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. बलवन्त सिंह पुत्र वसावा सिंह कम्बोज सिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद बन्डा तहसील पुवायां जिला शाहजहांपुर(उत्तरप्रदेश) 2. इन्द्रजीत सिंह पुत्र वसावा सिंह कम्बोज सिख निवासी 16 पी.एस. तहसील विजयनगर। 3. गुरदयाल सिंह पुत्र भान सिंह कम्बोज सिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर।		1. हरदीप सिंह पुत्र मेहर सिंह कम्बोज सिख निवासी 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिए पैराकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर। 3. सरपंच ग्राम पंचायत 10 ओ तेजेवाला

अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 419/90 दिनांक 08.02.2008 चक 2 ओ

तारीख रजू:- 05.07.2010

उपस्थितः 1.श्री अशोक कुमार जोशी अपीलांट अधिवक्ता

2. श्री युधिष्ठर सिंह सैनी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अधिवक्ता

--निर्णय-- दिनांकः 13.04.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की चाची/दादी जीत कौर पत्नी गुरबचन सिंह के नाम चक 2 ओ के मुश्तर्का खाता संख्या 90 के मुरब्बा नम्बर 8, 11, 19, 24 की कुल 9.285 हैक्टेयर नहरी भूमि में से 0.253 हैक्टेयर नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो उसे गुरबचन सिंह की मृत्यू के उपरान्त प्राप्त हुई थी। जीत कौर व गुरबचन सिंह की लाऔलाद की मृत्यू हो गई। अपने जीवनकाल में गुरबचन सिंह अथवा गुरबचन सिंह की मुत्यू के उपरान्त जीत कौर द्वारा अपने जीवनकाल में कोई बच्चा गोद नहीं लिया। जिनके प्रथम सूची का कोई वारिस नहीं होने से अपीलान्टगण तथा गुरबचन सिंह के अन्य भाई व भतीजे ही वैध उत्तराधिकारी एंव वारिस है तथा इस नाते उनकी उक्त कृषि भूमि विरासतन अपीलान्टगण तथा गुरबचन सिंह के अन्य भाई व भतीजों को प्राप्त हुई। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत ही विरासतन इन्तकाल दर्ज किया जाना चाहिए था। जीत कौर की मृत्यू उपरान्त हरदीप सिंह पुत्र मेहर सिंह ने तत्कालीन सरपंच निरंजन सिंह पुत्र कपूर सिंह जटसिख निवासी 10 ओ के साथ उक्त जमीन हडपने का षड्यन्त्र रच कर मिथ्या शपथ पत्र पेश कर स्वंय को जीत कौर का दत्तक पुत्र बताते हुए जीत कौर का अवैध रूप से एक वारिसनामा तैयार करवा लिया, जबकि निरंजन सिंह को भी यह बखूबी ज्ञान था कि जीत कौर के औलाद नहीं है तथा गुरबचन सिंह अथवा जीत कौर ने अपने जीवनकाल में कोई बच्चा गोद नहीं लिया है, निरंजन सिंह ने कथित वारिसनामा पर अपने स्थान पर किसी अन्य के हस्ताक्षर करवा कर सरपंच ग्राम पंचायत 10 ओ तेजेवाला की मोहर लगा कर वारिसनामा जारी किया तथा वारिसनामा की कूट रचना की गई। हरदीप सिंह द्वारा उक्त फर्जी व कूटरचित वारिसनामा के आधार पर पटवारी हल्का से अपने नाम नामान्तरण दर्ज करव लिया। अपीलाधीन इन्तकाल विधि प्रावधानों, उपलब्ध तथ्यों एंव साक्ष्य के विपरीत किये जाने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, अपास्त किये जाने योग्य

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

है। गुरबचन सिंह व जीत कौर के कोई औलाद नहीं थी और ना ही उन्होंने अपने जीवनकाल में मौखिक अथवा लिखित रूप से किसी भी बच्चे को गोद लिया। विधि अनुसार भी हिन्दू उत्तराधिकार कानून लागू हो जाने के उपरान्त जब तक पूर्ण विहित प्रक्रिया अपना कर गोद लेकर लिखित गोदनामा को पंजीकृत नही करवा लिया जावे, तब तक कोई भी किसी व्यक्ति का दत्तक नही हो सकता। लेकिन इन प्रावधानों के बावजूद तत्कालीन सरपंच द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से साजबाज होकर उसके पक्ष में जीत कौर व गुरबचन सिंह का फर्जी वारिसनामा जारी कर दिया जबकि फर्जी एवं कूटरचित वारिसनामा से हरदीप सिंह को कोई हक हासिल नहीं होते तथा ऐसे फर्जी वारिसनामा के आधार पर किया गया नामान्तरण संख्या 419/90 दिनांक 08.02.2008 भी आरम्भतः शून्य एंव अपीलान्टगण के हितों पर निष्प्रभावी है। अपीलाधीन इन्काल दिनांक 08.02.2008 का है। परन्तु उक्त नामान्तरण की जानकारी दिनांक 10.03.2010 को अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा कथित इन्तकाल न्यायालय में पेश होने की सूचना देने पर प्रार्थी के उत्तरप्रदेश से आ कर दिनांक 22.03.2010 को उस समय हुई। जब प्रार्थी ने राजस्व अभिलेख का एंव अपीलाधीन इन्तकाल का अवलोकन किया। उक्त इन्तकाल की जानकारी मिलते ही प्रार्थी द्वारा अविलम्ब उसकी प्रति हासिल की। अपील समय अवधि के भीतर पेश की गई है। अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार ,श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 419/90 दिनांक 08.02.2008 चक 2 ओ तहसील श्रीकरणपुर पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन इन्तकाल रद कर मृतका जीत कौर की इन्तकालाधीन भूमि का द्वितीय सूची के वारिसों के नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बाद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी ने प्रार्थना पत्र पेश किया, जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व की गई एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त किया गया। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता के द्वारा सूची अनुसार दस्तावेज पेश किये जो सामिल मिसल किये गए। सरपंच ग्राम पंचायत 10 ओ तेजेवाला से ग्राम पंचायत कार्यवाही रजिस्टर प्राप्त हुआ जो सामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेन्ट हरदीप सिंह के द्वारा अपीलान्ट संख्या 3 गुरदयाल सिंह की मृत्यू की सूचना दी गई। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा मृतक अपीलान्ट गुरदयाल सिंह के विधिक वारिसान को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण मृतक गुरदयाल सिंह के विधिक वारिसान को प्रकरण में पक्षकार की कार्यवाही न की जाकर सीधे बहस सुनी जावे। लिहाजा प्रकरण काफी पुराना हो चुका है। जिसमें उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी जानी उचित प्रतीत होती है।

बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा इन्तकाल सख्या 419/90 दिनांक 08.02.2008 चक 2 ओ, सरपंच ग्राम पंचायत 10 ओ तेजेवाला का मूल कार्यवाही रजिस्टर, सरपंच ग्राम पंचायत 10 ओ तेजेवाला वारिसान तस्दीक की छायाप्रति, जीत कौर पत्नी गुरबचन सिंह के मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति, इन्तकाल संख्या 296 दिनांक 08.03.2002 की छायाप्रति, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एंव अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 19.12.2014 अनवान जीत कौर आदि बनाम बलवन्त सिंह आदि की छायाप्रति, व न्यायालय सिविल न्यायाधीश एंव अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीकरणपुर आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के निर्णय दिनांक 06.03.2010 की छायाप्रति, जीत कौर के परिवार राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति का भली भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

चक 2 ओ, पटवार हलका 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, के संयुक्त खाता संख्या 66/60 के मुरब्बा नम्बर 8, 11, 19, 24, 72/21 की कुल 9.310 हैक्टेयर नहरी गैरमुमकिन खाला भूमि में से हरदीप सिंह दत्तक पुत्र गुरबचन सिंह के नाम 0.253 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जो जीत कौर पत्नी गुरबचन सिंह की मृत्यू उपरान्त जरिए विरास्तन इन्तकाल संख्या 419 दिनांक 08.02.2008 से दर्ज हुई। उक्त इन्तकाल संख्या 419 दिनांक 08.02.2008 सरपंच ग्राम पचायत 10 ओ तेजवाला के द्वारा तस्दीक किए गए वारिसान तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है। जीत कौर के परिवार राशन कार्ड में हरदीप सिंह को पुत्र के रूप में दर्शाया गया है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश एंव अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीकरणपुर के आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी दिनांक 16.03.2010 अनवान जीत कौर आदि बनाम बलवन्त सिंह आदि के अनुसार मृतका जीत कौर का विधिक प्रतिनिधि घोषित करते हुए हरदीप सिंह को विधिक प्रतिनिधि के रूप संयोजित किया गया है। लिहाजा विरास्तन इन्तकाल सख्या 419/90 दिनांक 08.02.2008 चक 2 ओ, हरदीप सिंह को मृतका जीत कौर का विधिक वारिसान मानते हुए दर्ज किया गया। अत अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलान्ट विरूद्व इन्तकाल संख्या 419/90 दिनांक 08.02.2008 चक 2 ओ, भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर